राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 5188104 फैक्स नं.:2224754, E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in

क्रमांक : 6.(36)/ग्रावि/बी.एफ.ए./कम्पनीज/ 2017/1371 दिनांक 10.10.2019

जिला कलेक्टर,
समस्त,
राजस्थान।

विषय : बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री के सम्बन्ध में।
संदर्भ : भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.08.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में इस विभाग द्वारा राज्य में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री हेतु विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के पंजीकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 दिनांक 13.08.2019 से लागू किये गये है। जिसकी प्रति इस विभाग द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत राज्य में बायोडीजल (बी–100) के विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं को इस विभाग में पंजीयन करवाना अनिवार्य है एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बायोफ्यूल प्राधिकरण विभाग को अधिकृत किया गया है। अतः राज्य में इस विभाग से अपंजीकृत समस्त बायोडीजल विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता उपरोक्त नियमानुसार अवैध होने के कारण राज्य में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री करने हेतु मान्य नही है।

अतः राज्य में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री करने हेतु इस विभाग द्वारा पंजीकृत बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के अतिरिक्त आप अपने जिले में संचालित ऐसे समस्त अवैध व अपंजीकृत बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के संचालन पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे।

इस हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के भाग–5 में अंकित बिन्दु संख्या 14 के क्रम में इस विभाग द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री को विनियमित करने हेतु समस्त बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं की नियमित जांच करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

अतः आप उक्त मनोनीत किये गये प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री को विनियमित करने हेतु नियमित जांच करने एवं अवैध बिक्री पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही करवायी जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, अजमेर को भेजकर निवेदन है कि आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
5. नियन्त्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 5188104 फैक्स नं.:2224754, E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in

क्रमांक : 6.(36)/ग्रावि/बी.एफ.ए./कम्पनीज/ 2017/1371 दिनांक 10.10.2019

जिला कलेक्टर,
समस्त,
राजस्थान।

विषय : बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री के सम्बन्ध में।
संदर्भ : भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.08.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में इस विभाग द्वारा राज्य में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री हेतु विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के पंजीकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 दिनांक 13.08.2019 से लागू किये गये है। जिसकी प्रति इस विभाग द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत राज्य में बायोडीजल (बी–100) के विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं को इस विभाग में पंजीयन करवाना अनिवार्य है एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बायोफ्यूल प्राधिकरण विभाग को अधिकृत किया गया है। अतः राज्य में इस विभाग से अपंजीकृत समस्त बायोडीजल विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता उपरोक्त नियमानुसार अवैध होने के कारण राज्य में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री करने हेतु मान्य नही है।

अतः राज्य में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री करने हेतु इस विभाग द्वारा पंजीकृत बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के अतिरिक्त आप अपने जिले में संचालित ऐसे समस्त अवैध व अपंजीकृत बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के संचालन पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे।

इस हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के भाग–5 में अंकित बिन्दु संख्या 14 के क्रम में इस विभाग द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री को विनियमित करने हेतु समस्त बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं की नियमित जांच करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

अतः आप उक्त मनोनीत किये गये प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से बायोडीजल (बी–100) की थोक/खुली बिक्री को विनियमित करने हेतु नियमित जांच करने एवं अवैध बिक्री पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

— sd —
(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, अजमेर को भेजकर निवेदन है कि आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
5. नियन्त्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग